

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013  
की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे०में)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	तमनार	राटरोट	0.486	एन.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 27 फरवरी, 2018 को समय 1.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-कसडोल पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण- (रेलमार्ग द्वारा तिलाईपाली कोयला खदान से लारी ताप विद्युत गृह तक कोयला परिवहन किया जावेगा)
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 05
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है:- हां
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है :- हां
8. परियोजना की कुल लागत :- 15,74,328-00 रु०
9. परियोजना से होने वाला लाभ (कोयला परिवहन के पश्चात् जारी विद्युत गृह से उत्पन्न होने वाली बिजली से छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में बिजली वितरित की जाएगी)
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की क्षतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय :- 50,000-00
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटांक:- निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
रायगढ़ जिला रायगढ़

(शम्मी आबिदी)  
कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)